Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)

No.2016/TG-I/20/13/ID New Delhi, dated 28.11.2016

Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways

(Commercial circular No.63 of 2016)

Sub: Carrying of proof of identity by defence personnel during journey by train.

Instances of misuse of military warrant have been brought to the notice of this office where some civilians were found travelling on the authority of military warrant. Accordingly the matter has been reviewed and it has been decided that passengers booked on a military warrant should carry their original identity card issued by defence department during the journey. The family members of the defence officials booked on warrant should carry their medical card or family identity card or any other card issued by Ministry of Defence through its Establishment failing which they will be considered as travelling without ticket and charged accordingly. This provision will be implemented w.e.f. 01.01.2017 and a message will be printed on all the tickets booked on defence warrant that such ticket is valid only with original defence identity card.

2. Necessary instructions may be issued to all concerned

(Vikram Singh)
Director Passenger Marketing
Railway Board

Copy to:

1. CCMs, CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. ADG/PR, EDV(T), EDFC, DF(C), OSD/TC, F(C) & V(SS) branch of Railway Board.
3. GGM/IT/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. Managing Director, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.
14. MD, Konkan Railway Corporation Ltd., Belapur Bhavan, Plot No.6, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614.

*****

sk/letter16/125

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
*****

सं.2016/टीजी-I/20/13/आईडी — नई दिल्ली, दिनांक 28.11.2016

मुख्य वाणिज्यिक प्रबन्धक,
सभी क्षेत्रीय रेलें.

(2016 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 63)

विषयः रक्षा कार्मिकों को गाड़ी द्‌वारा यात्रा करने के दौरान पहचान का साक्ष्य साथ ले जाना।

इस कार्यालय के ध्यान में मिलिट्री वारंट के दुरूपयोग के मामले लाए गए हैं, जहां कुछ सिविलियन मिलिट्री वारंट के प्राधिकार पर यात्रा करते हुए पाए गए। तद्‌नुसार इस मामले की समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया है कि मिलिट्री वारंट पर बुक पैसेंजरों को यात्रा के दौरान रक्षा विभाग द्‌वारा जारी अपना मूल पहचान पत्र अपने साथ रखना चाहिए। वारंट पर बुक रक्षा कार्मियों के परिवार के सदस्यों को अपने साथ मेडीकल कार्ड अथवा परिवार का पहचान पत्र अथवा कोई अन्य कार्ड, जिसे रक्षा मंत्रालय द्‌वारा अपनी स्थापना के माध्यम से जारी किया गया हो, अपने पास रखना चाहिए। ऐसा न करने पर उन्हें बिना टिकट यात्रा करता हुआ माना जाएगा और तद्‌नुसार उन पर प्रभार लगाया जाएगा। यह प्रावधान 01.01.2017 से कार्यान्वित किया जाएगा और रक्षा वारंट पर बुक किए जाने वाले सभी टिकटों पर एक संदेश मुद्रित किया जाएगा कि ऐसे टिकट केवल मूल रक्षा पहचान पत्र के साथ वैध हैं।

2. सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

(विक्रम सिंह)
निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

<u>प्रतिलिपि प्रेषित :</u>

1) सीसीएम$_{एस}$, सीसीएम/पीएम एवं सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
2) एडीजी/पीआर, का. नि. सतर्कता (टी), का नि एफ सी, निदेशक एफ (सी), वि. पीपीएस/एफसी, का अधिकारी/टी सी, वित्त (सी) व सतर्कता (एस एस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
3) जीजीएम/आईटी/आईआरसीटीसी, बी-148, 11वीं मंजिल, स्टेट्‌समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
4) महाप्रबंधक, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5) महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/वाणिज्यिक, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भुली-धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्‌वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सीनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/उदयपुर।
7) निदेशक, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ-226001।.
8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
9) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
10) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13) सीटीएम, मैट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जेएल नेहरू रोड, कोलकाता-71.
14) एमडी, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेलापुर भवन, प्लॉट नं. 6, सेक्टर-11, सीबीडी बेलापुर, नवीं मुंबई-400614

SUBODH